संख्या-771/18-4-2018-2(विविध)/18टी0सी0-।

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त,2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत "एक जनपद एक उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तरीय ओ0डी0ओ0पी0 समिट-2018 के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो (ओ0डी0ओ0पी0) प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-132//एम0एस0एम0ई0/ओ0डी0ओ0पी0/2018-19, दिनांक 26-7-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "एक जनपद एक उत्पाद" के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तरीय ओ0डी0ओ0पी0 समिट-2018 के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 25000.00 लाख (रू0 दो अरब पचास करोड़) के सापेक्ष रू0 1039.50 लाख (रू0 दस करोड़ उनतालिस लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित क्रिया-कलापों हेतु उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	क्रिया-कलाप का विवरण	दर (धनराशि लाख रू0 में)	जनपद / प्रतिभागियों की संख्या	गणना	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	समिट के आयोजन हेतु चयनित नेशनल पार्टनर को भुगतान	350.00	5000	&	350.00
2	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग	38.00	&	&	38.00
3	प्रदेश स्तरीय ब्राडिंग प्रचार-प्रसार	300.00	&	&	300.00
4	मण्डल, मुख्यालय पर वीडियो स्ट्रीमिंग तथा ऋण वितरण	1.00	18 मण्डल	18 x 1	18.00
5	जनपद के प्रतिभागियों/लाभार्थियों को ऋण वितरण	0.3	75	75 x 0.3	22.50
6	ओडीओपी समिट में तीन दिवसीय ओडीओपी प्रदर्शनी पर व्यय	0.2	500 प्रतिभागियो हेतु		100.00
7	ओडीओपी समिट के समारोह में जनपद के ओडीओपी लाभार्थियों को ऋण वितरण	0.05	प्रति जनपद 35 35x75=2625	2625 x0.05	132.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

8	**ओडीओपी समिट में ओडीओपी पुस्तक का वितरण**	**0.006**	**5000 बुक**	**5000 x0.006**	**30.00**
9	**काफी टेबुल बुक**	**0.02**	**500 बुक**	**500 x0.02**	**10.00**
10	**ओडीओपी फिल्म एवं सेक्टोरल फिल्म (तकनीकी सत्र हेतु)**	**15.00**	**-**	**-**	**15.00**
11	**ओडीओपी समिट में तकनीकी सत्रों हेतु नामित विशेषज्ञों पर व्यय**	**10.00**	**-**	**-**	**10.00**
12	**विशेषज्ञों को मोमेन्टोज**	**4.00**	**-**	**-**	**4.00**
13	**कार्यालय व्यय (स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी,यात्रा व्यय, अन्य व्यय)**	**10.00**	**&**	**&**	**10.00**
	कुल योग				**1039.50**

¼रू0 दस करोड़ उनतालिस लाख पचास हजार) मात्र

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा। आंकडों की शुद्वता एवं धनराशि की अनुमन्यता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य हेतु किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

4. प्रश्नगत योजना/कार्य के विभिन्न मदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने के पूर्व संगत प्रक्रियाओं यथा टेण्डर आदि का नियमानुसार पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा। तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

9- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार "एक जनपद एक उत्पाद" की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

11-स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-28-"एक जनपद एक उत्पाद" योजना-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-593/दस-2018, दिनांक 6.8.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-771/(1)/18-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7-वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in